

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीतासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

वादीगण-

राजस्व वाद संख्या- 47/2010

1. सीताराम पुत्र पेमाराम
2. जगदीश पुत्र पेमाराम
3. हरकूदेवी पत्नि पेमाराम
जाति बावारी निवासी छापडा तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामनिवास पुत्र पेमाराम
2. नानुराम पुत्र जेठाराम (फोट)
6. पाबूराम पुत्र नानुराम
7. पनाराम पुत्र नानुराम
8. हरजीराम पुत्र नानुराम
9. नरसीराम पुत्र नानुराम
10. गल्लूदेवी पुत्री नानुराम
3. सुरजाराम पुत्र जेठाराम(फोट)
4. तुलछाराम पुत्र सुरजाराम
5. हडमान पुत्र सुरजाराम
6. सुखराम पुत्र सुरजाराम
जाति बावरी निवासी छापडा तहसील जायल जिला नागौर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 53, 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री चन्द्रशेखर खुडखुडिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

- :: डिक्री आदेश :: -

दिनांक 26/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 3 हाजरी श्री चन्द्रशेखर खुडखुडिया प्रतिवादी संख्या 4 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - वाद वादीगण का अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत का पर्याप्त साक्ष्यो व सबूतो के अभाव मे सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा छापडा

शिवकुमार पाराशर
(अधिवक्ता)

सीताराम बनाम रामनिवास

मु.स. 47 / 2010

जीसीएमएस न. 2010 / 00065

के खेत ख.न. 706 रकबा 23.18 बीघा बाबत पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2010 को श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपास्त कर देने से निर्णय दिनांक 29.09.2010 की पालना में भरा गया नामान्तकरण शुन्य हो जाने से ख.नप. 706 की दिनांक 29.09.2010 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुये ख. न. 706 रकबा 23.18 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी सुरजाराम के विधिक वारिसान तुलछाराम, हडमानराम सुखाराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।

लीज - मुबलिग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/12/2022 को जारी की गई।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल